फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़

मुख्तयार सिंह बनाम अमरकौर बगै0

प्रा. पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्थगन प्रा0 पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
21.01.2020	आज यह प्रा.पत्र सायल के वकील द्वारा मय प्रा0 पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र एवं फोटोप्रति जमाबन्दी 2069–2075 पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। हमने वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सूविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.03.2020 तक पाबन्द किया जाता हैं कि विवादित आ.ख. नं0 हाल 178, 179, 180, 181 वाके ग्राम मस्तपुर तह0 गोविन्दगढ में सायल के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा न करने एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाताहै। उक्त आदेश की पालना में कोई एतराज हो तो नियत दिनांक को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावें। आदेश जारी हो।पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब कर दिनांक 31.03.2020 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ अलवर	
31/3/20	[illegible stamp] ...19... [signature]	
21/7/20	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उप0। आ0 क्र0 1006 की तलबी हेतु तलबाना पेश करे। तब तक पूर्व T.I की अवधि को बढाया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 9/8/20 को पेश हो। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
18/12/23	...[illegible]...उपस्थित साबिक आदेश दिनांक....24/8/22.... की पालना में पत्रावली वास्ते....[illegible].... दिनांक....11/1/24....को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
11.1.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब....V.R.S.Y.... ....केम्प में व्यस्त....है। पत्रावली दिनांक....09.2.24....को पेश हो। [signature] रीडर	
09.2.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील साथी अनुपस्थित। वकील व उनके साथीगण को बार-बार आवाज दिलायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके साथी उपस्थित नहीं आये। अतः प्रार्थना पत्र-212 RTA वकील व उनके साथीगण की अदम हाजिरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	